

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

एक लघु आदर्श आवस्यय एवं गुरबस्ती प्रोजेक्ट

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।

- जहाँ 44 हेक्टायर में एक लघु आदर्श
आवस्यय एवं गुरबस्ती प्रोजेक्ट
कालसी

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

-
हाँ

ग) परियोजना की लागत।

-

15.43 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

-
क्योंकि वहाँ निम्नलिखित वन
क्षेत्रों में स्थित है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

-

नहीं

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:

संलग्न है

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

- ~~नहीं~~
~~नहीं~~

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

~~हाँ~~

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम (सोहित कुमार वर्मा)

मोहर अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल विभाग
नया चकराता (पुरोई)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)